भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–03/2010–11

आवेदक		
आशीष कुमार गुप्ता, पिता–गौरी शंकर गुप्ता, ग्राम+पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम।	बनाम्	कैकई महताईन, पति–स्व0 हरिशंकर महतो, ग्राम+पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम। Substituted (1) पितवास महतो (2) अमूल्या महतो (3) लक्ष्मी महतो, सभी के पिता–स्व0 हरिशंकर महतो, ग्राम–वाउरीसाई, पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम।

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
29.03.2022	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक आशीष कुमार गुप्ता, पिता–गौरी शंकर गुप्ता, ग्राम+पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा अंचल अधिकारी, बंदगाँव के नामांतरण वाद संख्या–02/2009–10, दिनांक–26.08.2010 में पारित नामांतरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में नामांतरण अपील वाद संख्या–03/2010–11, दिनांक–15.03.2011 को दायर किया गया है, जिसमें कैकई महताईन, पति–हरिशंकर महतो, ग्राम–वाउरीसाई, पो0+थाना–कराईकेला, जिला–पश्चिमी सिंहभूम को विपक्षी बनाया गया है।	

भूमि का विवरणी

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
कराईकेला	607	329	379	0.60 ए0

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में बताया गया है कि वाद भूमि विक्रेता शेख अमीर अहमद, पिता–स्व० शेख मोहम्मद जमीर, ग्राम+पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम से इनके द्वारा निबंधित दलील संख्या–339, दिनांक–18.02.2002 के माध्यम से क्रय किया गया भूमि है। आवेदक का कहना है कि विक्रेता ने प्रश्नगत भूमि Title (Partition) Suit No.-3/1995 द्वारा डिक्री

प्राप्त की है एवं Execution Case No.-02/1999 में पारित आदेशानुसार दिनांक–18.08.2002 को न्यायालय द्वारा जारी रिट के अनुसार डिक्रीदारों को प्रश्नगत भूमि पर कब्जा दिलाई गयी थी। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में बताया गया है कि अंचल अधिकारी, बंदगाँव द्वारा पंजी–II में कैकई महताईन, पति–स्व0 हरिशंकर महतो का नाम दर्ज रहने के कारण नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकि Title (Partition) Suit No.-3/1995 द्वारा विक्रेता के पक्ष में डिक्री हो जाने एवं Execution Case No.-02/1999 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक–18.02.2002 को न्यायालय द्वारा जारी रिट के अनुसार विक्रेता को प्रश्नगत् भूमि पर कब्जा दिला देने के पश्चात् पंजी–II का अधिकार स्वतः समाप्त मानी जानी चाहिए। अपीलार्थी द्वारा उक्त के आलोक में इस नामांतरण अपील वाद को स्वीकृत करने का न्यायालय से अनुरोध किया गया है। कैकई महताई के मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा (1) पितवास महतो (2) अमूल्या महतो (3) लक्ष्मी महतो, सभी पिता–स्व0 हरिशंर महतो, ग्राम–वाउरीसाई, पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम को Substitute petition न्यायालय में दाखिल कर उक्त दोनों को इस वाद में Substitute करने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् इस वाद में (1) पितवास महतो (2) अमूल्या महतो (3) लक्ष्मी महतो, सभी पिता–स्व0 हरिशंर महतो, ग्राम–वाउरीसाई, पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम को Substitute किया गया है।

अंचल अधिकारी, बंदगाँव द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित किया गया है कि आवेदक श्री आशीष कुमार गुप्ता, पिता–श्री गौरी शंकर गुप्ता, निवासी–कराईकेला ने विक्रेता शेख अमीर अहमद, पिता–स्व० शेख मोहम्मद जमीर, ग्राम+पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम से प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला सं0–339, दिनांक–18.02.2002 द्वारा क्रय किया गया भूमि है।

अंचल अधिकारी, बंदगाँव द्वारा अभिलेख में उल्लेखित किया गया है कि बिक्रेता ने आवेदित भूमि को Title (Partition) Suit No.-3/1995 सब जज का न्यायालय, चाईबासा से डिक्री प्राप्त की है एवं Execution Case No.-02/1999 में पारित आदेशानुसार दिनांक–18.08.2002 को न्यायालय द्वारा जारी रिट के अनुसार डिक्रीदारों की जमीन पर कब्जा दिला दी गयी है साथ ही कैकई महताईन, पति–स्व0 हरिशंकर महतो, ग्राम+पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम पंजी–II रैयत है।

अंचल अधिकारी, बंदगाँव द्वारा अभिलेख में स्पष्ट किया गया है कि जामबंदी पंजी–II रैयत कैकई महताईन, पति–स्व0 हरिशंकर महतो,

ग्राम+पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम हैं ऐसी स्थिति में पंजी–II रैयत का नामांतरण रद्द किए बिना आवेदक के नाम से नामांतरण स्वीकृत करना न्यायोचित नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में पक्ष नहीं रखा गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस वाद में अपीलार्थी का अभिरूची नहीं है एवं उक्त नामांतरण अपील वाद के संबंध में इन्हें कुछ नहीं कहना है।

अंचल अधिकारी, बंदगाँव के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि पंजी–II रैयत के नाम से नामांतरण रद्द किए बिना अपीलार्थी के अपील वाद को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतएव अंचल अधिकारी, बंदगाँव द्वारा नामांतरण वाद संख्या–02/2009–10, दिनांक–26.08.2010 में पारित नामांतरण अस्वीकृति आदेश उचित प्रतीत होता है।

अतः अंचल अधिकारी, बंदगाँव द्वारा नामांतरण वाद संख्या–02/2009–10, दिनांक–26.08.2010 में पारित अस्वीकृति आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का आवेदन पत्र एवं इस नामांतरण अपील वाद को **खारिज** किया जाता है।

ह0/

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.17 16:20:16 +05:30
Location: 192.168.1.39